

Vol. 2

No 1

BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES

1045

1

OFFICIAL REPORT.

WEDNESDAY, THE 30 TH AUGUST, 1950.

SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRINTING
BIHAR, PATNA.

विहार विधान सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि १० अक्टूबर, १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन रांची के सभा भवन में मंगलवार, तिथि १० अक्टूबर, १९५० को ८-३० बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

क्षल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

Short Notice Questions and Answers.

LEASE OF SARANDA FOREST.

***15. Shri NANDKISHORE KARAYAN LAL :** Will the hon'ble the Minister, incharge of Forest, be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Saranda forest, one of the richest forests in India, has three ranges in it, namely Koina, Samata and Gua, first two under monopoly lease on long term basis with Shri Babu, H. I. Pathak and M/s. B. T. T. Co., Ltd., owned by M/s. Jardine Henderson, a firm of England, and the third Gua range settled by public auction in small lots annually;

(b) whether it is a fact that Babu H. I. Pathak and M/s. B. T. T. Co. pay royalty at the rate of Rs. 17 per unit of three (maximum) and the annual revenue of only five lacs is received from them for the two ranges leased to them;

(c) whether it is a fact that several other rebates and concessions are given to them at the above rate for long distance and hill-working;

(d) whether Government have calculated that these two ranges if sold in small lots by auction each will fetch an annual revenue of 10 lacs of rupees;

(e) if the answer to clause (d) be in the affirmative, whether Government consider the desirability of revising their decision and also enlightening the House of their policy in this respect?

The Hon'ble Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (a) Yes, the Saranda forest has the three ranges in it named and the forest in two of them, viz., Koina and Samta are worked on leases by Babu H. I. Pathak and Messrs. Bengal Timber Trading Co., Ltd., whose managing agents are Messrs. Jardine Henderson. The forests of Gua Felling Series were also being settled by leases until June 1946, when Government decided to change the system of sale of this Felling Series, as an experimental measure, to one of annual auction.

*माननीय सदस्य के अनुपस्थिति में श्री जगन्नाथ सिंह के निर्वेदन पर उत्तर दिया गया।

° (ग) चंदवा से डोभी तक सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग (P. W. D.) इस साल अपने हाथ में ले रहा और हुन्टरगंज से शेरघाटी तक सड़क की स्थानीय स्वायत्त शासन-साहाय्य योजना (L. S.-G. Subsidy scheme) से रूपा लेकर युद्ध के पूर्व की स्थिति में लाने का प्रबंध किया जा रहा है।

सिमरिया और परतापपुर का सम्बन्ध।

३२। श्री मंगर राम खोबी — क्या माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि हजारीबाग जिले के अन्तर्गत सिमरिया और परतापपुर दो थाने हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिये रास्ते का कोई प्रबन्ध नहीं है, और इस रास्ते में लावालींग, बुन्दा और परतापपुर तीन मेलें लगते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार इन जगहों के बीच रास्ता के लिए कोई प्रबन्ध करना चाहती है?

माननीय पं० विनोदानन्द झा — नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रबन्ध है। दो गंवई सड़कें हैं। एक तुंगुन-कुन्दा-परतापपुर सड़क है और दूसरी सिमरिया-बोगरा-लावालींग-लोहारसी सड़क है। दोनों सड़कें युद्ध के पूर्व की स्थिति में लाने के लिए स्थानीय स्वायत्त-शासन साहाय्य योजना (L. S.-G. Subsidy scheme) के अन्तर्गत हैं। ये सड़कें केवल अच्छे मौसम (fair weather) में ही चालू रहती हैं और वर्तमान स्थिति में जबकि सरकार के सामने जरूरी योजनाएं हैं इन्हें सभी मौसम (all weather) के उपयुक्त नहीं बनाया जा सकता।

संथाल परगना जिले में ऐग्रिकोल डिपो।

३३। श्री बृजलाल डोकानिया — क्या माननीय मंत्री, विकास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) संथाल परगने में किसानों के लिये कितने ऐग्रिकोल डिपो खोले गये हैं;

(ख) उन ऐग्रिकोल डिपो में कितने किस्म का खाद बिकता है, और कितने किसानों को यह खाद वितरण कर चुका है, उन किसानों का नाम क्या है जिन लोगों को खाद सप्लाई किया और वजन?

माननीय डा० सेयद महमूद — (क) संथाल परगने में निम्नलिखित आठ डिपो हैं — (१) बड़हरवा, (२) देवबर, (३) डुमका, (४) गोड्डा, (५) जामतारा, (६) महेशपुर, (७) पाकुड़ और (८) साहेबगंज।

हाल में सहयोग समितियों द्वारा भी खाद वितरण करने का प्रबंध किया गया है।

(ख) निम्नलिखित प्रकार के खाद उपरोक्त डिपो द्वारा वितरण किये जाते हैं — सल्फेट आफ अमोनिया, सुपरफोस्फेट, बोनमील और खल्ली।

उन किसानों के नाम जिन्हें खाद मिला है तथा उसके वजन के संबंध में प्रत्येक डिपो से सूचना ली जा रही है और प्राप्त होने पर माननीय सदस्य के सामने यदि आवश्यकता हो तो उपस्थित की जायेगी।